

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 354 / 2009 / कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स,
कोटा।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स स्टील क्राफ्ट शोपिंग सेन्टर,
कोटा

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय

दिनांक 11.05.2017

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 15 / आरएसटी / 2007-08 / कोटा में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.07.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिये पारित आदेश दिनांक 31.03.2004 के जरिये आरोपित कर रुपये 3,24,525/- ब्याज 6,23,088/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वित्तिय वर्ष 1995-96 के दौरान ठेकेदार के रूप में एक राजकीय विभाग से सेक्शन विण्डो एवं वेंटिलेटर्स की सप्लाय व फिक्सिंग की कार्य संविदा प्राप्त की गई थी। इस कार्य के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खिडकी व वेंटिलेटर के निर्माण के लिये आयरन व स्टील की खरीद की गई थी, जो कर चुका माल था। उस आधार पर दिनांक 30.03.1998 को मूल कर निर्धारण आदेश में इस कर चुका माल का कार्यसंविदा में उपयोग होने से इस पर पुनः करारोपण नहीं किया गया क्योंकि कार्य संविदा में कर चुके माल का हस्तांतरण माना, परन्तु दिनांक 31.03.2004 को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया, जिसमें यह अवधारित किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो माल संविदा कार्य में उपयोग में लिया गया था वह माल केवल आयरन स्टील न होकर आयरन स्टील से नये माल का निर्माण खिडकी व वेंटिलेटर के रूप में किया गया था जो नवनिर्मित माल होने से कर योग्य माल था जिसका हस्तांतरण कार्य संविदा में किया जाने से उस माल की डिम्ड सेल पर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।



लगातार.....2


उक्त पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2004 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.07.2008 से यह निर्णय किया गया कि मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.1998 के आदेश से तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो छूट प्रदान की गई थी वह न्यायिक दृष्टांत 7 TAX UPDATE PAGE 285 एवं (1993) 26 VKN PAGE 347 के निर्णय के आधार पर दी गई थी जिससे कर चुके माल से बनाये गये दरवाजे खिडकियों के कार्य संविदा में करयोग्य नहीं माना गया था। उसके अलावा न्यायिक दृष्टांत 111 STC 307, 97 STC 442, 72 STC page 2 पर प्रकाशित न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित विधिक निर्णयों अनुसार यह भी अवधारित किया कि बिना किसी नये तथ्यों के पूर्व पारित आदेश को रि-ओपन नहीं किया जा सकता। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बताया तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय आदेश में यह अवधारित किया गया है कि प्रथम बार मूल कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि कर चुके माल का सीधा उपयोग संविदा कार्य में किया जाने से वह कर योग्य नहीं है, उस आदेश को रि-ओपन करने से पूर्व किसी भी तरह के नये तथ्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किये गये एवं बिना किसी जांच के उसी टर्नओवर पर पुनः कर आरोपित किया जाना धारा 30 में अनुमत नहीं है। अपीलीय निर्णय पर विचार किया गया एवं पाया कि पुनः कर निर्धारण बिना किसी आधार या अन्य तथ्यों के प्राप्त किए बिना ही पारित कर दिया गया है एवं न ही पुनः कर निर्धारण आदेश में यह तथ्य लाये गये है कि कर चुके आयरन स्टील का सीधा उपयोग बिल्डिंग में खिडकी व वेंटिलेटर लगाते हुये नहीं किया है अथवा व्यवहारी द्वारा पहले कर चुके माल से अलग से खिडकी व वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था एवं बाद में संविदा कार्य में उसका उपयोग किया है। इस तरह बिना कोई तथ्यात्मक जांच के, कार्य संविदा के पूर्व खिडकी का निर्माण किया जाने की अवधारणा करना अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय कर बोर्ड के निर्णय के आलोक में कर चुके माल का उपयोग संविदा कार्य में किया जाने पर उसे करयोग्य नहीं माना जाने में कोई त्रुटि नहीं की है, एवं बिना किसी जांच के धारा 30 में पुनः कर निर्धारण अविधिक माना जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के.एल.जैन)
सदस्य